न्यायालयः– अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, मकराना
जिला डीडवाना–कुचामन

बउनवान–अब्दुल कयूम बनाम मो. सलीम व अन्य
किस्म–दीवानी मूल नंबर–120/12 क.न.–111/19

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
24-04-26	वादी अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादीगण अधिवक्ता उपस्थित। अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र आदेश 8 नियम 1(3) सपठित धारा 151 के संबंध में बहस सुनी गई जिसका निस्तारण किया जा रहा है। अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने प्रार्थना पत्र के संबंध में निवेदन किया कि हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादीगण की साक्ष्य रिकॉर्ड पर ली जानी है। प्रतिवादीगण आवश्यक दस्तावेजात पेश करना चाहता है जिनमें–प्रतिवादी संख्या 03 मोहम्मद हसन द्वारा वादी व अन्य के विरूद्ध दर्ज एफआईआर नंबर 197/18 पुलिस थाना मकराना में दिनांक 09.04.2026 को अभियुक्तगण अब्दुल करीम व अन्य के विरूद्ध आरोप पत्र पेश किया जिसकी नकले प्रतिवादीगण को दिनांक 15.04.2026 को प्राप्त हुई है जिनको वाद के ऋजु के निस्तारण के लिए रिकॉर्ड पर लेना आवश्यक है, साथ ही एसीजेम न्यायालय के फौजदारी नियमित प्रकरण सरकार बनाम अब्दुल करीम वगैरा की सम्पूर्ण पत्रावली की प्रमाणित प्रति को रिकॉर्ड पर लिए जाने का निवेदन किया। उक्त प्रार्थना पत्र के संबंध में अधिवक्ता वादी ने जवाब पेश न कर मौखिक रूप से आपत्ति जाहिर की। पत्रावली का अवलोकन किया। संबंधित विधि का अध्ययन व परिशीलन किया गया। जहां तक कि प्रतिवादीगण अधिवक्ता ने आदेश 8 नियम 1(3)	

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
मकराना, जिला डीडवाना–कुचामन

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर तारीख अहकाम इस की तो मे जारी
	सपठित धारा 151 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के संबंध में कथन किया कि प्रतिवादीगण के प्रार्थना पत्र के साथ पेश दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिया जावें इस संबंध में प्रतिवादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ पेश दस्तावेजात का न्यायालय के द्वारा अवलोकन किया गया जिनमें:– दिनांक 09.04.2026 की एसीजेम न्यायालय की आदेशिका की प्रमाणित प्रति है तथा एफआईआर नंबर 197/18 में पेश आरोप पत्र की प्रमाणित प्रति है, साथ ही वादी अधिवक्ता ने दौराने बहस दिनांक 14.12.2010 का शपथ पत्र तथा दिनांक 11.01.2004 को निष्पादित इकरारनामा असल विचारण न्यायालय की पत्रावली में होने बाबत कथन किया है इस संबंध में उक्त दस्तावेजात का अवलोकन करने से प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि उक्त दोनो दस्तावेजात न्यायालय द्वारा जारी प्रमाणित प्रति दस्तावेजात है अतः उक्त दस्तावेजात:– दिनांक 09.04.2026 की एसीजेम न्यायालय की आदेशिका, एफआईआर नंबर 197/18 में पेश आरोप पत्र की प्रमाणित प्रति, दिनांक 14.12.2010 का शपथ पत्र तथा दिनांक 11.01.2004 को निष्पादित इकरारनामा की प्रमाणित प्रतियों को रिकॉर्ड पर लिया जाना **न्यायोचित प्रतीत होने से रिकॉर्ड पर लिए जाते है।** **शेष दस्तावेजात:–** पत्रावली के अवलोकन से प्रकट है कि प्रतिवादीगण अधिवक्ता द्वारा पेश दस्तावेजात में एफआईआर नंबर 197/18 पुलिस थाना मकराना एवं पारिवारिक भाई बंटवारा दिनांक01.08.2011 की प्रति को पूर्व में ही पत्रावली पर रिकॉर्ड पर लिए जा चुके है जिससे उक्त दस्तावेजात को	

अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश
मकराना, जिला नागौर–राजस्थान

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
	पुनः रिकॉर्ड पर लिया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है। पत्रावली वास्ते साक्ष्य प्रतिवादी दिनांक 30.04.2026 को पेश हो। अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश	